उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 29/2015/सीपी 539/84-2-2015-सीपी 2/2014
लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री आलोक कुमार पुत्र श्री ललियान सिंह, ग्राम राजपुर, पोस्ट सौरिख, कन्नौज की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या- 68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, कन्नौज में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी। इस आदेश के अनुपालन में श्री आलोक कुमार द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के पूर्वान्ह में जिला उपभोक्ता फोरम, कन्नौज में सामान्य सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 2457/एससीडीआरसी/अधि/73/14, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा श्री आलोक कुमार के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2015 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्री आलोक कुमार ने पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अपरान्ह से जिला फोरम, कन्नौज के सामान्य सदस्य के पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री आलोक कुमार, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, कन्नौज का त्यागपत्र दिनांक 31 जुलाई, 2015 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, कन्नौज के सामान्य सदस्य के पद से श्री आलोक कुमार पुत्र श्री ललियान सिंह, ग्राम राजपुर, पोस्ट सौरिख, कन्नौज द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 31 जुलाई, 2015 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 29/2015/सीपी 539/84-2-2015-सीपी 2/2014, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, कन्नौज ।
(3) कोषाधिकारी, कन्नौज ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, कन्नौज (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री आलोक कुमार पुत्र श्री ललियान सिंह, ग्राम राजपुर, पोस्ट सौरिख, कन्नौज ।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in